[1]मध्य प्रदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1987

(क्रमांक 32, सन् 1987)

(दिनांक 31 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 12 अगस्त 1987 को प्रथम बार प्रकाशित की गई")

सरकार द्वारा क्रेताओं को दीर्घकालिक अवधि के लिये बेची गई या प्रदाय की गई वन उपज के लिए उचित कीमत प्राप्त करेन हेतु, कतिपय करारों की समय-समय पर पुनरीक्षित करने की शक्ति प्राप्त करने और आय की हानि को रोकन तथा पुनरीक्षित करारों को प्रवृत्त करने और कतिपय अन्य विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम म.प्र. वन उपज के करारों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1987 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

टिप्पणी

म. प्र. शासन ने अपनी अधिसूचना क्रमांक 1301-दस 3-88 दिनांक 2 मई, 1988 द्वारा दिनांक 2 मई, 1988 से इस अधिनियम को प्रभावशील घोषित किया है। उक्त अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2/5/88 को पृष्ठ 873 पर प्रकाशित हुई।

धारा 2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "करार" के अन्तर्गत आयेगी कोई संविदा, अनुज्ञप्ति बंधपत्र, विलेख या अन्य दस्तावेज, जिसके द्वारा राज्य सरकार, ऐसी दस्तावेज में विनिर्दिष्ट निबन्धनों तथा शर्तों पर, किसी दीर्घकालिक अवधि के लिये, प्रतिफलार्थ, किसी वन उपज का किसी व्यक्ति को विक्रय या प्रदाय करने का अथवा कोई वन उपज किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत किये जाने और हटाये जाने की अनुज्ञा देने के लिए करार करती है।

(ख) "वन उपज" का वही अर्थ होगा जो उसे म.प्र. राज्य को यथा लागू भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) में दिया गया है;

(ग) "दीर्घकालिक अवधि" से अभिप्रेत है बारह मास के अधिक की कोई कालावधि;

(घ) "क्रेता" से अभिप्रेत है, किसी कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय को, चाहे वह निगमित हो या न हो, सम्मिलित करते हुए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी करार के अधीन राज्य सरकार से कोई वन उपज क्रय करता है या जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी वन उपज का प्रदाय किया जाता है या जो राज्य सरकार से कोई वन उपज अभिप्राप्त करता है।"

---

1. यह अधि. म.प्र. राजपत्र असाधारण, दिनांक 12.8.87 के पृष्ठ 1599-1601 पर प्रकाशित हुआ।

धारा 3. वन उपज के विक्रय या प्रदाय के करारों का पुनरीक्षण करने की राज्य सरकार की शक्ति - तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को विद्यमान किसी करार में या किसी ऐसे करार में जो राज्य सरकार द्वारा किसी क्रेता के साथ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात् किया जाये, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे करार के निर्बधों तथा शर्तों में से किसी भी निबन्धनों तथा शर्त में समय-समय पर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, निम्नलिखित प्रयोजनों में, किसी भी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये, परिवर्धन करे या उसे प्रतिस्थापित करे, हटा दे या उसे अन्यथा संशोधित करे, अर्थात्-

(क) क्रेता को वन उपज के विक्रय या प्रदाय के लिये कीमत या दर के पुनरीक्षण या नियतकालिक पुनरीक्षण के लिये उस दशा में उपबन्ध करना, जबकि ऐसे करार में यथास्थिति ऐसे पुनरीक्षण या नियतकालिक पुनरीक्षण के लिये कोई उपबन्ध न हों। और जहाँ ऐसे करार में ऐसी नियतकालिक पुनरीक्षण के लिये कोई उपबन्ध हों, वहा पुनरीक्षण की कालावधि में कमी या वृद्धि करने हेतु उपबन्ध करना परन्तु एक बार नियत की गई कीमत या दर उस तारीख से, जिसको कि ऐसी कीमत या दर प्रवृत्त हुई को कम से कम बारह मास की कालावधि तक राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित नहीं की जा सकेगी;

(ख) उस कीमत या दर के, जिस पर वन उपज का विक्रय या प्रदाय क्रेता को किया जाना है, पुनरीक्षण के समय, वृद्धि की उस अधिकतम सीमा को, जो ऐसे किसी करार में अधिरोपित की गई है, हटाने या उसे उपांतरित करने का उपबन्ध करना;

(ग) उसे तौल माप की इकाई में, जिसमें उस उपज की तौल, मापन या गणना क्रेता या प्रदाय के प्रयोजन के लिए या उस वन उपज के लिये कीमत का दर प्रभारित करने या वसूल करने के प्रयोजनों के लिये उपबन्ध करना, किन्तु वह इस प्रकार कि जिससे उस वन उपज के, जिसका विक्रय या प्रदाय क्रेता को करने का करार किया गया है, परिणाम में तात्विक या सारवान् परिवर्तन न हो;

(घ) उस वन उपज के परिमाण को, जिसका कि करार के अधीन विषय या प्रदाय क्रेता को किया जाने का करार किया गया है, जलागम क्षेत्रों (केचमेन्ट एरियाज) का समुचित पुर्नसमायोजन करके, उपांतरित या पुनः आवंटित करना।

धारा 4. क्रेताओं की बेची या प्रदाय की गई वन उपज की कीमत बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी -

(1) वन उपज के विक्रय या प्रदाय के लिये, धारा 3 द्वारा नियत कीमत या दर में किसी पुनरीक्षण के समय नियत की जाने वाली कीमत या दर, ऐसे पुनरीक्षण के समय होने वाले ऐसे वन उपज के उस बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में अवधारित किया जाए।

(2) जहाँ कीमत या दर पुनरीक्षण के समय एक बार में बारह मास से अधिक की किसी कालावधि के लिये नियत की जाती है, वहाँ राज्य सरकार, उस कालावधि के दौरान, जिसमें कि पुनरीक्षित कीतम या दर प्रवृत्त रहनी है, उस वन उपज के बाजार मूल्य में होने वाली पूर्वानुमानित वृद्धि के लिये कीमत या दर में वार्षिक वृद्धि के लिये उपबन्ध कर सकेगी।

धारा 5. निबन्धनों तथा शर्तों के भंग के कारण करारों का पर्यवसान करने की राज्य सरकार की शक्ति -

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् की गई, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार क्रेता द्वारा करार में समय-समय पर यथा-संशोधित निबन्धनों तथा शर्तों में से किसी भी निबन्धन तथा शर्त को भंग किये जाने के कारण ऐसे करार का, क्रेता को इस बाबत हेतु दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् कि उस करार का क्यों न पर्यवसान कर दिया जाए और ऐसे पर्यवसान के लिए उसे एक मास की सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय पर्यवसान कर सकेगी।

(2) ऐसे मामलों में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

[1]धारा-5 क्र. करारों तथा संविदा की समाप्ति - तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में तथा म.प्र. व.उ. करारों का (संशोधन) अधि. 1996 के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान, किन्हीं करारों में या किसी ऐसे करार में, जो राज्य सरकार द्वारा किसी क्रेता के साथ ऐसे अधि. के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् किया जावे अन्तर्विष्ट किसी बात क होते हुए भी वृक्ष, लकड़ी, काष्ठ या अन्य वन उपज के प्रदाय के लिये राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई करार या मंजूर किया गया कोई पट्टा या दस्तावेज इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष का अवसान होने पर प्रवृत्त नहीं रहेगा।

(2) ऐसे मामलों में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) उपरोक्त (1) के अधीन करारों की समाप्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या विधिकार्यवाहियां किसी न्यायालय या अधिकरण में नहीं होगी।

धारा 6. क्रेता एक मास की सूचना देने के पश्चात् करार का पर्यवसान कर सकेगा - यदि, धारा 3 के अधीन किसी करार के निबंधनों और शर्तों में किया गया कोई संशोधन या उस धार के अधीन वन उपज के विक्रय या प्रदायके लिये कीमत या दर में किया गया कोई पुनरीक्षण, क्रेता को प्रतिग्राह्य न हो तो वह अपने विकल्प पर, उस तारीख से, जिसको कि यथास्थिति निबंधनों और शर्तों में किया गया संशोधन अथवा कीमत या दर में किया गया पुनरीक्षण उसे संसूचित किया जाता है, छह मास की कालावधि के भीतर, राज्य सरकार के एक मास की लिखित सूचना देकर, उस करार का पर्यवसान कर सकेगा और तद्नुसार वह करार सूचना की कालावधि के खत्म होने पर पर्यवसिन हो जाएगा।

धारा 7. नियम बनाने की शक्ति -

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभार डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये बनाये जा सकेंगे, अर्थात्-

(क) धारा 3 के अधीन करार में किए जाने वाला प्रस्तावित संशोधन की या कीमत या दर में किये जाने के लिये प्रस्तावित किसी पुनरीक्षण की सूचना देने के लिए और प्रस्ताव के विरुद्ध हेतु दर्शित करने के लिए क्रेता को अवसर देने के लिए,

(ख) वे सिद्धांत जिन पर, वह रीति जिसमें और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा धारा 4 के प्रयोजनों के लिए बाजार मूल्य अवधारित किया जायेगा।

(ग) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

---

1. धारा 5 क म.प्र. वन उपज के करारों का पुनरीक्षण (संशोधन) अधिनियम 1996 (क्र. 19 वर्ष 1996) द्वारा अन्तः स्थापित। म.प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 6-12-96 का पृष्ठ 1061-1062 पर प्रकाशित।